कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल (बहजोई) ।

पत्रांक 365/जि0पं0/नि0अनु0/2022–23/35 दिनांक 19/10/2022

अनुज्ञा पत्र

मै0 एम0एस0 मेन्थाल प्रा0लि0,
डायेरक्टर श्री संचित अग्रवाल,
पुत्र श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल,
निवासी मुंसिफ कोर्ट चन्दौसी,
तहसील चन्दौसी जिला सम्भल

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 14/10/2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर ग्राम वझावली उर्फ मझावली तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल में स्थित भूमि गाटा संख्या 876 के आवासीय मानचित्र (कुल एरिया 10738.00 व0मी0) को स्वीकृत कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रश्नगत ग्राम वझावली उर्फ मझावली तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल में स्थित भूमि गाटा संख्या 876 के आवासीय मानचित्र को प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, सम्भल की आख्या एवं उपविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

1– निर्माण कार्य जिला रोड/लोक निर्माण विभाग/राज्य राज मार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य शासकीय रोड द्वारा निर्धारित मार्ग की दूरी को छोड़कर बनाया जायेगा तथा सम्पर्क मार्ग अथवा गलियों से 10 मीटर दूर होना आवश्यक है।

2– कूड़ा–करकट आदि को प्रश्नगत परिसर में ही स्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था करनी होगी।

3– जल व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी कि जिससे कोई भी पानी अथवा गन्दगी निकटवर्ती सड़क एवं किसी भवन/मकानों पर न फैले तथा प्रत्येक दिन साफ–सफाई कराना अनिवार्य होगा।

4– निर्माण आवासीय मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भविष्य में यदि कोई आवासीय मानचित्र में परिवर्तन किया जाना हो तो उसकी स्वीकृति पृथक से प्राप्त करनी होगी।

5– निर्माण कार्य भू–खण्ड की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण चाहें वह स्थायी हो या अस्थायी नहीं कराया जायेगा।

6– भविष्य में यदि प्रस्तुत आवासीय मानचित्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख फर्जी अथवा गलत विवरण दिया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी आवासीय मानचित्र की स्वीकृति निरस्त की जायेगी तथा निर्माण ध्वस्त/सील किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7– यदि अग्नि शमन की आवश्यकता पड़ती है तो अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

8– भविष्य में अथवा निर्माण के समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो जिला पंचायत, सम्भल जिम्मेदार नहीं होगी।

कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल

P.T.O-2

9– जल आपूर्ति एंव मल–मूत्र एंव बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

10– हरे पेड़ बिना वन विभाग की अनुमति के नहीं काटे जायेंगे।

11– अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

12– भवन एंव पक्की सड़कों के द्वारा भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू–आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू–आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

13– **आवासीय मानचित्र जिला पंचायत, सम्भल से स्वीकृत होने के उपरान्त उन समस्त विभागों से जिनसे लाईसेन्स/अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।**

14– निर्माण तीन वर्ष के अन्दर करना होगा अन्यथा की स्थिति उक्त स्वीकृति पुनः जिला पंचायत, सम्भल से प्राप्त करनी होगी। जिसके लिए पृथक से शुल्क देय होगा।

15– उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत, सम्भल की नक्शा उपविधि की आवश्यक शर्तो एवं समय–समय शासनादेशों तथा जिला पंचायत, सम्भल के कार्यालय आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16– जिला पंचायत, सम्भल की उपविधि के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा–133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन न करने पर एवं किसी भी प्रकार के वाद–विवाद, भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रश्नगत आवासीय मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निष्प्रभावी होगी।

संलग्नकः उपरोक्त आवासीय मानचित्र मूलरूप में।

अभियन्ता
जिला पंचायत, सम्भल
अभियन्ता
जिला पंचायत, सम्भल

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सम्भल
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सम्भल

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– श्री मुहम्मद नाज़िम, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, सम्भल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल

जिला पंचायत, सम्भल